न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –51/2018 (अपील)

पुरीलाल आत्मज रतनलाल जाति कुल्मी, निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

भैरू पुत्र कजोड़ जाति लश्करी निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 15/2017 में दिनांक 26.09.2017 को पारित निर्णय " ख0नं0 1521/0.02 हे. पर पूरीलाल पुत्र रतनलाल का अवैध कब्जा है तथा ख.नं. 2813/0.01 हे. चाह व ख.नं. 2814/0.28 हे. पर अप्रार्थी मनोज पुत्र प्रहलाद अहीर निवासी जुल्मी का अवैध कब्जा है । जो उक्त भूमि पर अविधिक रूप से कब्जा कर रखा है । अतः उक्त आराजी से अप्रार्थीगण पूरीलाल पुत्र रतनलाल व मनोज पुत्र प्रहलाद अहीर नि0 जुल्मी को बेदखल किया जाता है ।" बाबत आदेश किया गया ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 25.07.2018 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अधीनस्थ न्ययालय द्वारा दिनांक 20.2.2017 को अप्रार्थी कम 2 को सुनवायी एवं जवाब का पर्याप्त अवसर दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेन्ट भैरूलाल ने माननीय न्यायालय में गलत तथ्यों की जानकारी देकर प्रार्थना पत्र पेश किया था । नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी की खाता संख्या 911 ई 857 पुरानी में राजस्व रिकार्ड में जाति लश्करी दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं आती है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को अनदेखा कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है । तथा उक्त भूमि किस्म खेडा आबादी भूमि से जुल्मी हुई थी जो कि रेस्पोडेन्ट भैरूलाल के पिता कजोड आत्मज किशना

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

जाति लश्करी निवासी जुल्मी के खाते की दर्ज थी । जिसका बेचान कजोड द्वारा दिनांक 15.11.1978 को अपीलान्ट व उसके भाई नाथू आत्मज रतनलाल जाति कुल्मी निवासी जुल्मी को बेचान कर दी थी तथा इस बाबत विक्रय पत्र भी 25/– के चार स्टाम्प पेपर पर आलेखित किया जा चुका था जिस पर विक्रेता कजोड आत्मज किशना की अंगूठा निशनी मौजूद है किन्तु कजोड के बीमार हो जाने के कारण उक्त दस्तावेज पंजीकृत नहीं हो पाया । उक्त भूमि पर उसी समय से अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है जो 183 (बी) की परिधि में नहीं आता है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को अनदेखा कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है । इस प्रकार 40 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट भैरूलाल के पिता कजोड आत्मज किशना द्वारा उक्त खेडा अपीलान्ट को बेचान होने के उपरान्त अपीलान्ट ने अपने भाई नाथू के साथ आपसी भाई बंटवारा करते हुए अपना हिस्सा अपने छोटे पुत्र बाबूलाल को मकान बनाने हेतु दे दिया जिस पर बाबूलाल विगत 30 वर्षो से भी अधिक समय से मकान बनाकर निवास करता चला आ रहा है तथा बाबूलाल द्वारा ग्राम पंचायत जुल्मी में आवेदन करने पर ग्राम पंचायत जुल्मी द्वारा जर्ये रसीद संख्या 76 दिनांक 24.2.2008 के आधार पर दिनांक 20.8.2008 को पट्टा संख्या 11474 जारी किया गया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट भैरूलाल स्वयं की जाति लश्करी होते हुए लश्करी के स्थान पर बैरवा बताकर तथा बैरवा जाति का फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवाकर माननीय न्यायालय में उसके पिता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 1521 की रकबा 0.200 हे0 किस्म खेडा के बेचान के तथ्य छुपाकर क्लीन हेण्ड नहीं आया है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को अनदेखा कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 5.6.2018 को होने तथा दिनांक 18.6.2018 को नकल मिलने पर अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु दिनांक 2.7.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार कर खारिज कर दिया । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.9.2017 भैरूलाल बनाम प्रहलाद, पुरीलाल वगै0 अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई एवं वकीय उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि रेस्पोडेन्ट भैरूलाल ने माननीय न्यायालय में गलत तथ्यों की जानकारी देकर प्रार्थना पत्र पेश किया था । नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी की खाता संख्या 911 ई 857 पुरानी में राजरव रिकार्ड में जाति लश्करी दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं आती है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को अनदेखाकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है । तथा उक्त भूमि किस्म खेडा आबादी भूमि से लगी हुई थी जो कि रेस्पोडेन्ट भैरूलाल के पिता कजोड आत्मज किशना जाति लश्करी निवासी जुल्मी के खाते की दर्ज थी । जिसका बेचान कजोड द्वारा दिनांक 15.11.1978 को अपीलान्ट व उसके भाई नाथू आत्मज रतनलाल जाति कुल्मी

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

निवासी जुल्मी को बेचान कर दी थी तथा इस बाबत विक्रय पत्र भी 25/– के चार स्टाम्प पेपर पर आलेखित किया जा चुका था जिस पर विक्रेता कजोड आत्मज किशना की अंगूठा निशनी मौजूद है किन्तु कजोड के बीमार हो जाने के कारण उक्त दस्तावेज पंजीकृत नहीं हो पाया । उक्त भूमि पर उसी समय से अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है जो 183 (बी) की परिधि में नहीं आता है । इस प्रकार 40 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट भैरूलाल के पिता कजोड आत्मज किशना द्वारा उक्त खेडा अपीलान्ट को बेचान होने के उपरान्त अपीलान्ट ने अपने भाई नाथू के साथ आपसी भाई बंटवारा करते हुए अपना हिस्सा अपने छोटे पुत्र बाबूलाल को मकान बनाने हेतु दे दिया जिस पर बाबूलाल विगत 30 वर्षो से भी अधिक समय से मकान बनाकर निवास करता चला आ रहा है जिसका ग्राम पंचायत जुल्मी दिनांक 20.8.2008 को पट्टा संख्या 11474 जारी किया गया है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.9.2017 भैरूलाल बनाम प्रहलाद, पुरीलाल वगै0 अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. रेस्पो0 की ग्राम जुल्मी स्थित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा जबरन कब्जा करने व कब्जा नहीं छोड़ने पर अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज0 काश्त0 अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सूचना पर अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ और जवाब का अवसर लिया । बाद में न्यायालय द्वारा सभी को सुनकर रेस्पो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान किया तथा दिनांक 18.7.2018 को रेस्पो0 को कब्जा सम्भलाया गया । अपीलान्ट को सूचना देकर उपस्थित आने पर आदेश प्रदान किया, जिसकी प्रारम्भ जानकारी अपीलान्ट को रही है । असत्य तथ्यों पर दिनांक 2.7.2018 को प्रार्थना पत्र लगाया जो खारिज हो गया है । जिसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है । यह प्रकरण समरी प्रकिया का है जो जानकारी से मियाद बाहर है । मियाद कन्डोन का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और ना मियाद के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं चाही गई है । मियाद बाहर अपील होने से अपील खारिज होने योग्य है ।अपीलान्ट ने अन्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अन्य को बेदखल दिनांक 4.6.2018 को गोपाल आदि को किया गया जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया और ना उनके द्वारा अपील की है । जाति का प्रमाण पत्र साथ प्रस्तुत हो रहा है । जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । अपील सारहीन होने व मियाद बाहर होने से खारिज की जावें । उक्त प्रावधान कमजोर, गरीब व्यक्तियों की सहायता वास्ते बनाया गया है । अपीलान्ट प्रभावशाली व दबंग व्यक्ति है । अपील सव्यय खारिज की जावें ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 26.09.2017 के विरूद्व दिनांक 25.7.2018 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश की है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने के सम्बन्ध लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है, किन्तु हम

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निर्णय मियाद के बिन्दु पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना उचित समझते है ।

7. वकील अपीलान्ट ने यह तथ्य अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट की जाति लश्करी है जो अनुसूचित जाति में नहीं आती है, किन्तु अपीलान्ट ने इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदि पेश नहीं किये है, जिससे यह साबित हो की रेस्पोडेन्ट भैरूलाल बैरवा जाति का नहीं होकर लश्करी जाति का हो तथा जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो । साथ ही अपीलान्ट के इस तथ्य से भी सहमत नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुने बिना ही निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट पर पुरीलाल की उपस्थिति दर्ज है । अपीलान्ट द्वारा जिस तथाकथित बेचान का जिक्र किया है वह रजिस्टर्ड नहीं होने से मान्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट भैरूलाल की खातेदारी भूमि ख0नं0 1521 रकबा 0.02 हे., पर पुरीलाल का अवैध कब्जा तथा ख.नं. 2813 रकबा 0.01 हे. चाह व ख.नं. 2814 रकबा 0.28 हे. पर अन्य का कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183–बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 26.9.2017 से बेदखली के आदेश दिये गये है, जिसमें हम कोई दोष नहीं पाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.09.2017 अन्तर्गत धारा 183–बी आर0टी0एक्ट में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.09.2017 अन्तर्गत धारा 183–बी आर0टी0एक्ट यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर,
कोटा

Scanned by CamScanner